# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 180 सन 2022

अनवान :–

1. नरेन्द्र किशोर पुत्र गिरधारीलाल जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कुरडाराम पुत्र गिरधारी जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
3. धापा कुमारी पुत्री गिरधारी जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
4. लिछमा पुत्री गिरधारी जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
5. विदया देवी पुत्री गिरधारी जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
6. सविता सेन्टी पुत्री सुरस्वती पुत्री गिरधारी जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. कुलदीप सिह पुत्र सुरसती पुत्री गिरधारी जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. पूजा पुत्री सुरसती पुत्री गिरधारी जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 18/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 165/149 की कुल 2.2770हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 का 113846/204930 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ,7 प्रत्येक का 1423/102465 हिस्सा वादी का 28469/204930 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 व 8 प्रत्येक 11387/204930हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 2846/207493 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज मनोहरीदेवी पत्नी गिरधारी के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 मनोहरीदेवी पत्नी गिरधारी के जायज वारिसान होने के कारण विरास्तन से भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की हिस्सा कस्सी सहवन से गलत तौर से दर्ज हो गई जिसे वाद की मद संख्या 4 के अनुसार दर्ज करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने है एवं मनोहरी पत्नी गिरधारी की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी सांख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो एवं बहन सुरती के वारिसा के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के नाम दर्ज भूमि में से नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे पूर्व में दर्ज हिस्सा कस्सी को संशोधन करते हुए हक

Scanned with CamScanner

हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकरी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी सख्या 7 ,8 को जरिये सम्मन तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में सरदारी पत्नी गिरधारी के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज की गई किन्तु दर्ज करते समय हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज हो गई जिसे सही करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , 7 ,8 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे हिस्सा कस्सी संशोधन करते हुए वाद की मद संख्या 4 के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 के नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 9 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 165/149 की कुल 2.2770हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 का 113846/204930 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ,7 प्रत्येक का 1423/102465 हिस्सा वादी का 28469/204930 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 व 8 प्रत्येक 11387/204930हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 2846/207493 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज मनोहरीदेवी पत्नी गिरधारी के नाम से दर्ज थी जिसके देहान्त होने के बाद वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 मनोहरीदेवी पत्नी गिरधारी के जायज वारिसान होने के कारण विरास्तन से भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की हिस्सा कस्सी सहवन से गलत तौर से दर्ज हो गई जिसे वाद की मद संख्या 4 के अनुसार दर्ज करवाने के अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 वादी की बहने है एवं मनोहरी पत्नी गिरधारी की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो एवं बहन सुरती के वारिसा के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 165/149 की कुल 2.2770हैक्ट में से प्रतिवादी संख्या 1 का 113846/204930 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ,7 प्रत्येक का 1423/102465 हिस्सा वादी का 28469/204930 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 6 व 8 प्रत्येक 11387/204930हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 2846/207493 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में सरदारी पत्नी गिरधारी के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरासतन से भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम विरासतन से दर्ज हुई थी किन्तु विरासतन नामान्तकरण दर्ज करते समय वादी एव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की हिस्सा कस्सी गलत तौर से दर्ज हो गई जिसे संशोधन करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की हिस्सा कस्सी संशोधन की जाती है तो कोई ऐतराज नही है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ,7 ,8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 165/149 की कुल 2.2770हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर में वादी पहले से दर्ज हिस्से सहित प0न0 386/445(106) के किला न0 10/0.2530हैक्ट व शेष 0.14883 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा 1.35134हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 0.40183हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 एवं 0.0136हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 7 तथा 0.1084 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/04/2012 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. नरेन्द्र किशोरपुत्र गिरधारीलाल जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. कुरडाराम पुत्र गिरधारी जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
2. राजेश कुमार पुत्र गिरधारी लाल जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
3. धापा कुमारी पुत्री गिरधारी जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
4. लिछमा पुत्री गिरधारी जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
5. विदया देवी पुत्री गिरधारी जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
6. सविता सेन्टी पुत्री सुरस्वती पुत्री गिरधारी जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. कुलदीप सिह पुत्र सुरसती पुत्री गिरधारी जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. पूजा पुत्री सुरसती पुत्री गिरधारी जाति मेधवाल निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 180 सन 2022 निर्णय दिनांक–** 18/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 16 डीपीएन के खाता संख्या 165/149 की कुल 2.2770हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 का नाम कलमजन किया जाकर में वादी पहले से दर्ज हिस्से सहित प0न0 386/445(106) के किला न0 10/0.2530हैक व शेष 0.14883 हैक भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा 1.35134हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 0.40183हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 एवं 0.0136हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 7 तथा 0.1084 हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 8 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

Scanned with CamScanner